IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–25

भवन सं0–3सी / 115, 118 व 119 बौद्व विहार, मझोला, मुरादाबाद
Email : cd25mbdupavp@gmail.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 5700
Bureau of Indian Standards SQMS

पत्र सं0 :– 09 / ENG-24 /01 दिनांक :– 03-01-17

सेवा में,

मैसर्स आर0 के0 एण्ड कम्पनी,
64बी, नटराज पुरम,
कमला नगर, आगरा।

विषय– **मझोला योजना सं0–4, भाग–2, मुरादाबाद के सेक्टर–9ए में स्वः वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत स्टिल्ट+4 मंजिले फिनिश्ड 2–बी0एच0के0 प्रकार के 96 नग फ्लैट्स के निर्माण कार्य की ई–निविदा की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस खण्ड के अन्तर्गत "मझोला योजना सं0–4, भाग–2, मुरादाबाद के सेक्टर–9ए में स्वः वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत स्टिल्ट+4 मंजिले फिनिश्ड 2–बी0एच0के0 प्रकार के 96 नग फ्लैट्स के निर्माण कार्य" दि0 20.12.16 को आमन्त्रित ई–निविदा में दी गई दरें, बी0ओ0क्यू0 में अंकित दरों पर **5.75 प्रतिशत अधिक**, जिसके अनुसार कार्य की कुल लागत **रू0 9,67,01,503.99 (रूपया नौ करोड़ सड़सठ लाख एक हजार पांच सौ तीन एवं पैसा निन्यानवे मात्र)** आती है, की स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (म0), लखनऊ के पत्रांक 169 / सी0ई0 कैम्प / निविदा / दिनांक 03.01.2017 के कम में अधीक्षण अभियन्ता, पंचम वृत्त, मुरादाबाद के पत्र सं0–03 / डब्ल्यू–7 / 02 / दि0–03.01.2017 द्वारा प्रदत्त की गई है, जिसमें आयकर, व्यापार कर, रायल्टी आदि करों की देयता का उत्तरदायित्व आपका होगा, लेबर सेस एवं सर्विस टैक्स अलग से अतिरिक्त देय होगा।

अतः आप एक सप्ताह के अन्दर निम्नलिखित प्रपत्रों / औपचारिकताओं सहित अनुबंध निष्पादन के लिये खण्ड कार्यालय मे उपस्थित होकर अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें, अन्यथा ई–निविदा की स्वीकृति निरस्त कर जमानत धनराशि जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी।

1. रू0 96,71,000.00 **(रूपया छियानवे लाख इक्हत्तर हजार मात्र)** की जमानत धनराशि, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर. के रूप में, जो **अधिशासी अभियन्ता, नि0खं0–25, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुरादाबाद** के पदनाम से बन्धक एवं मुरादाबाद में भुगतान योग्य हो।
2. मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा पारित आदेशों के कम में आवास आयुक्त (म0) लखनऊ के पत्रांक 1076 / विधि0 अनु0 / मानी0सैल / अभि0एम0–2 / दिनांक–13.09.05 एवं उ0प्र0 शासनादेश सं0 स0 वि0 क0 नि0 –5 – 1712 / ग्यारह–2006–500 (डब्ल्यू0–29 / 2005 / दिनांक 02.05.06 के संदर्भ में संयुक्त आवास आयुक्त (विधि) के पत्र सं0141 / मानी विधि / 35 / दिनांक 20.06.06 के अनुपालन में स्टाम्प डयूटी एक्ट के अनुच्छेद 57 (बी) शिडियूल–1सी के अनुसार रू0 100 / – के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर **इस आशय का शपथ पत्र कि यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका में शासन के पक्ष में निर्णय पारित किया जाता है तो उनके द्वारा ठेका अनुबंध पर अवशेष एक सौ रूपये से अधिक देय स्टाम्प डयूटी शुल्क का भुगतान कर, विभाग के लेखा शीर्षक में जमा कर दिया जायेगा, प्रस्तुत करें।**
3. शासनादेश सं0–622–231–12–2012–2 / आडिट / 08–टी0सी0, दि0 08.06.12 के कंम में निविदादाता द्वारा बिल ऑफ क्वान्टिटी के विरूद्व डाले गये 10 प्रतिशत below तक 0.5 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत below तथा 10 प्रतिशत से अधिक below पर 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत below अतिरिक्त सिक्योरिटी / परर्फोमेन्स गारन्टी FDR/CDR/NSC के रूप में जो कार्य की वास्तविक समापन तिथि तक वैद्य हो (समयवृद्वि प्रदान किये जाने की दशा में भी) जो **अधिशासी अभियन्ता, नि0खं0–25, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुरादाबाद** के पदनाम से बन्धक एवं मुरादाबाद में भुगतान योग्य हो अनुबंध गठन से पूर्व देनी होगी, जो कार्य के अन्तिम बीजक भुगतान होने के बाद वापस होगी।
4. अनुबंध गठन हेतु रू0 100–100 रूपये के दो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर।
5. यदि फर्म साझेदार है, तो पार्टनरशिप डीड की सत्यापित प्रति।
6. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत अनुबन्ध गठन के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण कराकर, पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

भवदीय

(ए0 के0 मित्तल)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 09 / उपरोक्त / 01 दिनांक 03-01-17
प्रतिलिपि :–

1. मुख्य अभियन्ता (म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को उनके पत्रांक 169 / सी0ई0 कैम्प / निविदा / दिनांक 03.01.2017 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता, पंचम वृत्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, मुरादाबाद को उनके पत्र सं0–03 / डब्ल्यू–7 / 02 / दि0–03.01.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक अभियन्ता, नि0खं0–25, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुरादाबाद को इस अनुबंध गठन हेतु मानचित्र तत्काल प्रस्तुत करे तथा अधीक्षण अभियन्ता पंचम वृत्त, मुरादाबाद के पत्र सं0–03 / डब्ल्यू–7 / 02 / दि0–03.01.2017 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करे। संलग्नक उपरोक्तानुसार।
4. सहायक लेखाधिकारी, नि0खं0–25, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
5. अनुबंध गठन हेतु।

अधिशासी अभियन्ता

E:\CD-25 (2017)\Anubandh\Acceptence letter-17.doc